रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 43] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 3, 1984/माघ 14, 1905

No. 43] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 3, 1984/MAGH 14, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1984

का. आ. 69(अ).—भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) की धारा 47 की उप-धारा (1) के खण्ड (च) तथा (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा रेलवे (गोदाम एवं स्थान शुल्क) नियम, 1958 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम रेलवे (गोदाम एवं स्थान शुल्क) (द्वितीय संशोधन) नियम, 1983 कहलायेंगे ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. रेलवे (गोदाम एवं स्थान शुल्क) नियम, 1958 में, रेलवे (गोदाम एवं स्थान शुल्क) नियम, 1958 के नियम 6 की तालिका में :—

(1) मद (1) के सामने कालम 2 में, इन्दराजों के बाद निम्नलिखित को अन्तर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) बीसीएक्स तथा सीआरटी माल डिब्बों वाले जम्बू रेक में 1—19 माल डिब्बों के मामले में जो एक समय में एक पार्टी द्वारा लदान के लिए लगाए जाएं, लदान के लिए लगाए जाने के समय से 6 कार्य घण्टे ।

(ख) बीसीएक्स तथा सीआरटी माल डिब्बों वाले जम्बू रेक में 20 से 40 माल डिब्बों के मामले में, जो एक समय में एक पार्टी द्वारा लदान के लिए लगाये जायें, लदान के लिए लगाए जाने के समय से 8 कार्य घण्टे ।

(ग) बीसीएक्स तथा सीआरटी माल डिब्बों वाले जम्बू रेक के 41 से 70 माल डिब्बों के मामले में, जो एक समय में एक पार्टी द्वारा लदान के लिए लगाए जाएं, लदान के लिए लगाए जाने के समय से 9 कार्य घण्टे ।

(घ) बीसीएक्स तथा सीआरटी माल डिब्बों वाले जम्बू रेक में 71 या उससे अधिक माल डिब्बों के मामले में, जो एक समय में एक पार्टी

दुबारा लदान के लिए लगाये जायें, लदान के लिए लगाए जाने के समय से 10 कार्य घण्टे ।

(ङ) 55 या अधिक बाक्स-एन माल डिब्बों के पूरे रेक के हस्त-लदान के मामले में, जो एक समय में एक पार्टी द्वारा लदान के लिए लगाए जाएं लदान के लिए लगाए जाने के समय से 10 कार्य घण्टे ।

(च) 55 या अधिक बाक्स-एन माल डिब्बो के पूरे रेक के यांत्रिक-लदान के मामले में, जो एक समय में एक पार्टी द्वारा लगाए जाएं, लदान के लिए लगाए जाने के समय से 9 कार्य घण्टे ।

(2) मद (2) के स्थान पर कालम 2 में, वर्तमान इन्दराजों के अन्त में निम्नलिखित को अन्तर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) बी सी एक्स तथा सी आर टी माल डिब्बों वाले जम्बू रेक में 1—19 माल डिब्बों के मामले में, जो एक समय में एक पार्टी द्वारा उतराई के लिए लगाए जाएं, उतराई के लिए लगाए जाने के समय से 6 कार्य घंटे ।

(ख) बी सी एक्स तथा सी आर टी माल डिब्बों वाले जम्बू रेक में 20 से 40 माल डिब्बों के मामले में, जो एक समय में एक पार्टी द्वारा उतराई के लिए लगाए जाएं, उतराई के लिए लगाए जाने के समय से 9 कार्य घण्टे ।

(ग) बी सी एक्स तथा सी आर टी माल डिब्बों वाले जम्बू रेक में 41 से 70 माल डिब्बों के मामले में, जो एक समय में एक पार्टी द्वारा उतराई के लिए लगाए जाएं, उतराई के लिए लगाए जाने के समय से 10 कार्य घण्टे ।

(घ) बी सी एक्स तथा सी आर टी माल डिब्बों वाले जम्बू रेक में 71 या उससे अधिक माल डिब्बों के मामले में, जो एक समय में एक पार्टी द्वारा उतराई के लिए लगाए जाएं, उतराई के लिए लगाए जाने के समय से 11 कार्य घण्टे ।

(ङ) 55 या अधिक बाक्स-एन माल डिब्बों वाले पूरे रेक की हस्त उतराई के मामले में, जो एक समय में एक पार्टी द्वारा उतराई के लिए लगाए जाएं, उतराई के लिए लगाए जाने के समय से 11 कार्य घण्टे ।

(च) 55 या अधिक बाक्स-एन माल डिब्बों वाले पूरे रेक की यांत्रिक उतराई के मामले में, जो एक समय में एक पार्टी द्वारा उतराई के लिए लगाए जाएं, उतराई के लिए लगाए जाने के समय स 10 कार्य घण्टे ।

[सं. टी. सी. आई./83/201/10]
ए. जोहरी, सचिव, रेलवे बोर्ड
तथा भारत सरकार के पदेन
संयुक्त सचिव

टिप्पणी :—(1) मुख्य नियम दिनांक 28-8-1958 के भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (2) में का. आ. सं. 1793 के अधीन प्रकाशित किया गया था ।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 1984

S.O. 69(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (f) and (g) of sub-section (I) of section 47 of the Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railways (Warehousing and Wharfage) Rules, 1958, namely :—

1. (1) These rules may be called the Railways (Warehousing and Wharfage) (Second Amendment) Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Railways (Warehousing and Wharfage) Rules, 1958, in the table to rule 6 of the Railways (Warehousing and Wharfage) Rules 1958 :—

(1) against item (i) after the entries in column 2, the following entries shall be inserted, namely :—

(a) in the case of 1—19 wagons in Jumbo rakes, consisting of BCX and CRT wagons, placed at a time for loading by one party, six working hours from the time at which the wagons are placed in position for loading;

(b) in the case of 20 to 40 wagons in Jumbo rakes, consisting of BCX and CRT wagons, placed at a time loading by one party, eight working hours from the time at which the wagons are placed in position for loading;

(c) in the case of 41 to 70 wagons in Jumbo rakes, consisting of BCX and CRT wagons, placed at a time loading by one party, nine working hours from time at which the wagons are placed in position for loading;

(d) in the case of 71 or more wagons in Jumbo rakes consisting of BCX and CRT wagons, placed at a time for loading by one party, ten working hours from the time at which the wagons are placed in position for loading;

(e) in the case of manual loading of a full rake of 55 or more BOX-N wagons, placed at a time for loading by one party, ten working hours from the time at which the wagons are placed in position for loading;

(f) in the case of mechanical loading of a full rake of 55 or more BOX-N wagons, placed at a time for loading by one party, nine working hours from the time at which the wagons are placed in position for loading;

(2) against item (ii) in column 2, the following entries shall be inserted at the end of the existing entries, namely :—

(a) in the case of 1—19 wagons in Jumbo rakes consisting of BCX and CRT wagons, placed at a time for unloading by one party, six working hours from the time at which the wagons are placed in position for unloading;

(b) in the case of 20 to 40 wagons in Jumbo rakes, consisting of BCX and CRT wagons, placed at a time for unloading by one party, nine working hours from the time at which the wagons are placed in position for unloading;

(c) in the case of 41 to 70 wagons in Jumbo rakes consisting of BCX and CRT wagons, placed at a time for unloading by one party, ten working hours from the time at which the wagons are placed in position for unloading;

(d) in the case of 71 or more wagons in Jumbo rakes, consisting of BCX and CRT wagons placed at a time for unloading by one party, eleven working hours from the time at which the wagons are placed in position for unloading;

(e) in the case of manual unloading of a full rakes of 55 or more BOX-N wagons placed at a time for unloading by one party, eleven working hours from the time at which the wagons are placed in position for unloading;

(f) in the case of mechanical unloading of a full rake of 55 or more BOX-N wagons, placed at a time for unloading by one party, ten working hours from the time at which the wagons are placed in position for unloading.

[No. TCI|83|201|10]

A. JOHRI, Secy., Railway Board and Ex-Officio Jt. Secy. to the Govt. of India.

Note : Principal Rule was published in the Gazette of India under S.O. No. 1793 in part II section 3 sub-section (ii) dated 28-8-1958.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984